

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना—बसन्तपुर—जैती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई— 10.00कि०मी०

प्रपत्र—46

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

सहायक वन संरक्षक
उप-प्रभागीय वनाधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

वनक्षेत्राधिकारी
जागेश्वर वन क्षेत्र
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

अधिशारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा